भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2266

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 जुलाई, 2019/17, आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

अशोक पेपर मिल का पुनरुद्धार

2266. श्री अब्दुल खालेकः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम समझौता में अशोक पेपर मिल के पुनरुद्धार का आश्वासन दिया था; और

(ख) सरकार द्वारा अशोक पेपर मिल के पुनरुद्धार हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निर्दिष्ट किया है कि समझौता ज्ञापन (असम समझौता) के अनुसार, "केंद्रीय सरकार अशोक पेपर मिल को पुन: खोलने के लिए उसके प्रयासों में राज्य सरकार को पूर्ण सहायता प्रदान करेगी"।

(ख): असम राज्य सरकार ने अशोक पेपर मिल (असम) लिमिटेड (एपीएम), जोगीघोपा को पुन: चालू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. एपीएम को दिनांक 01.04.1995 से 25 वर्षों की अवधि के लिए 8.97 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ मैसर्स संघी टेक्सटाइल लि. (एसटीएल), हैदराबाद को पट्टे पर दिया गया था, किंतु एसटीएल पेपर मिल प्रबंधन विशेषज्ञता के अभाव और अन्य कारणों से उत्पादन कार्यकलाप जारी रखने में असफल रहा और दिनांक 07.04.1999 को इस मिल को बंद कर दिया गया। एपीएम को 2.97 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 02.08.2000 से मैसर्स नॉर्थ ईस्ट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लि. (एनईपीआईएल) को पट्टे पर दिया गया। एनईआईपीएल भी वांछित परिणाम देने में असफल रहा।

II. निजी पक्षों के माध्यम से इस मिल के पुनरुद्धार के लिए किए गए दो प्रयासों की असफलता के पश्चात्, असम राज्य सरकार ने भारत सरकार के एक उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. (एचपीसी), के माध्यम से इस मिल को पुनः चालू करने का प्रस्ताव किया। अनेक बैठकों के दौरान विस्तृत चर्चाओं के पश्चात्, यह तय किया गया कि एपीएम के स्थल पर अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री जैसे नारियल अथवा जूट का उपयोग करते हुए व्यवहार्य वैकल्पिक उद्योग विकसित करने की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, "एपीएम एकीकृत आर्थिक जोन और कलस्टर पैकेज" के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी और इसे 2018 में स्थानीय तथा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। किंतु, किसी पक्षकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। तथापि, कुछ निवेशकों, जिन्होंने इस पेपर मिल में रूचि दिखाई है, के साथ चर्चाएं अभी भी चल रही हैं।

III. इसी बीच, केंद्रीय सरकार ने के माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 27.11.2014 के आदेश के अनुसरण में एकमुश्त निपटान तथा अन्य ऋण देयताओं को निपटाने के रूप में दिनांक 10.02.2016 को अशोक पेपर मिल, असम के लिए 44.45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की।

IV. चूंकि जोगीघोपा की अवस्थिति रणनीतिक है और एपीएम की भूमि का उपयोग विगत लगभग 40 वर्ष से नहीं किया गया है, इसलिए असम राज्य सरकार ने 2018 में एपीएम में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क/हब (एमएमएलपी) विकसित करने का भी प्रस्ताव किया था और इस परियोजना के लिए एपीएम की कुल 2200 बीघा भूमि में से 200 एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुमोदन किया था। तथापि, असम समझौते के उपबंध के आलोक में, पेपर मिल क्षेत्र की लगभग 60 बीघा भूमि को एमएमएलपी के लिए प्रस्तावित 200 एकड़ भूमि में शामिल नहीं किया गया है। इससे निचले असम में न केवल अनेक रोजगार अवसर सृजित होंगे, बल्कि राज्य में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा।

*****